UBN - DDA2627SLOB00007

(1)

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

क्रमांक :– 06 दिनांक :– 19/11/26

–:बिड़ आमंत्रण सूचना:–

जिला न्यायालय अजमेर के नवीन भवन में विद्युतीय कार्यो के लिए जॉब बेसिस पर प्रशिक्षित कार्मिकों हेतु खुली दर बोली आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय अजमेर के नवीन भवन में विद्युतीय आदि रख–रखाव कार्यों के लिए जॉब बेसिस पर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाए जाने हेतु इच्छुक सेवा प्रदाताओं/निविदादाताओं से सीलबन्द लिफाफों में बिड आमंत्रित की जाती है–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	अवधि
01	जिला न्यायालय, अजमेर के नवीन न्यायालय भवन में विद्युतीय कार्यो यथा न्यायालय भवन की 07 लिफ्ट, एयरकंडीशनर प्लांट, एयर कूलिंग प्लांट, फायर फाईटिंग सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, सी.सी.टी.वी. सिस्टम, सब–स्टेशन (ट्रान्सफॉर्मर व डीजी सेट) के संचालन एवं मॉनिटरिंग संबंधी कार्य।	18,00,000/– (समस्त करों सहित)	36000/–	500/–	कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी

इच्छुक सेवा प्रदाताओं/निविदादाताओं से दिनांक 20.11.2026 से दिनांक 04.12.2026 को 03:00 पी.एम. तक निविदा प्रस्तुत कर सकते है। समस्त प्राप्त बिड्स दिनांक 04.12.2026 को 04:30 पी.एम. पर ऑनलाईन खोली जायेगी। बिड की शर्ते एवं विवरण राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर व https://eproc.rajasthan.gov.in एवं इस कार्यालय के विभागीय पोर्टल https://ajmer.dcourts.gov.in पर एवं कार्यालय में संपर्क करके भी देखी जा सकती हैं।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
पोक्सो एक्ट, प्रकरण संख्या–2, अजमेर।

क्रमांक :– 36860-36872 दिनांक: 19/11/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर
2. प्रभारी अधिकारी (लेखा), जिला न्यायालय अजमेर ।
3. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय अजमेर ।
4. सीनियर सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को अतिशीघ्र राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल SPPP एवं E-PROC पर अपलोड करवाकर जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाये तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सूचना प्रस्तुत करावें। जिससे NIB के समाचार पत्र में वास्ते प्रकाशनार्थ समय पर भेजा जा सके।
5. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर /न्यायालय परिसर समस्त तालुका अजमेर न्यायक्षेत्र।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
पोक्सो एक्ट, प्रकरण संख्या–2, अजमेर।

(2)

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in . Tel. No- 0145-2420027

क्रमांक :– स्था./2026/ 06 दिनांक :– 13-11-2026

जिला न्यायालय अजमेर के नवीन भवन में विद्युतीय कार्यो के लिए जॉब बेसिस पर प्रशिक्षित कार्मिकों हेतु तकनीकि बोली

1.	उपापन संस्था का नाम	जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर
2.	उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का नाम	जिला न्यायालय, अजमेर के नवीन न्यायालय भवन में विद्युतीय कार्यो यथा न्यायालय भवन की 07 लिफ्ट, एयरकंडीशनर प्लांट, एयर कूलिंग प्लांट, फायर फाईटिंग सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, सी.सी.टी.वी. सिस्टम, सब–स्टेशन (ट्रान्सफॉर्मर व डीजी सेट) के संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु 11 प्रशिक्षित कार्मिक की संविदा पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु खुली दर निविदा।
3	निविदा अवधि	कार्यादेश जारी करने की तिथी से एक वर्ष तक
4.	निविदा प्रक्रिया	द्वि–भाग बोली (Single stage two part)
5.	बिड मूल्यांकन का तरीका	न्यूनतम बोली
6.	उपापन की अनुमानित राशि	18,00,000/– अनुमानित
7.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	20.11.2026 को 03:00 पी.एम. तक
8.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	04.12.2026
9.	वित्तीय बोली खोलने की तिथि	04.12.2026
10.	निविदा प्रपत्र शुल्क, E-PROC पोर्टल प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि जमा कराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश	**निविदा प्रपत्र शुल्क 500/–** जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के नाम (बजट मद 0075–00–800–52–01– निविदा शुल्क की प्राप्तियां) तथा **E-PROC पोर्टल प्रोसेसिंग फीस 500/– MD RISL Jaipur** के बजट मद (8658–00–102–16–01–) एवं **धरोहर राशि 36,000/–** जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के नाम (बजट मद 8443–00–103–00–00–प्रतिभूति राशि) में नियमानुसार जरिये एकल ई–चालान जमा करवाकर जमाशुदा चालान की प्रति निविदा में संलग्न प्रस्तुत करनी होगी। जिसके अभाव में प्रस्तुत निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
11.	कार्य संपादन प्रतिभूति राशि	नियमानुसार संभावित कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत केवल सफलतम निविदादाता द्वारा जमा करवाई जाएगी।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
पोक्सो एक्ट, प्रकरण संख्या–2, अजमेर

बोलीदाताओं हेतु आवश्यक निर्देश

1. बोलीदाता अपनी निविदा (तकनीकि) भरकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे तथा वित्तीय निविदा (न्यूनतम दरें) आनलाईन प्रस्तुत की जाएगी।
2. निर्धारित दिनांक एवं समय पर बोली शुल्क, पॉर्टल शुल्क तथा धरोहर राशि का जमाशुदा चालान प्रति प्रस्तुत नहीं होने पर बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था/विभाग को सुरक्षित है।
4. प्रस्तुत बोली की न्यूनतम वैधता 90 दिन के लिए होगी।
5. संवेदक द्वारा कार्य को सब–लेट नहीं किए जाएगा।
6. अनुबन्ध निष्पादन सफलतम बोलीदाता फर्म को स्वयं के खर्च पर 500/– रू0 के स्टाम्प पर करवाने संबंधी जिम्मेदार फर्म की होगी।
7. बिडिंग डाक्यूमेन्ट में किसी विवरण/अशुद्धि के लिए उपापन संस्थान/विभाग जिम्मेदार नहीं है। बिडर की यह जिम्मेदारी है कि वह स्वयं तथ्यों की अपने स्तर पर पुष्टि कर लें। बिडिंग डाक्यूमेन्ट की सूचनाएं बिडर को लोजिकल बोली प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रस्तुत की गई है।
8. उपरोक्त निविदा RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के अधीन है। बिडिंग डाक्यूमेन्ट में कोई असम्बद्धता की स्थिति में उक्त एक्ट एवं नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
9. नियोजित संविदा कार्मिकों को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी राशि भुगतान एवं संविदा कार्मिकों के प्रति समस्त दायित्वों की पूर्ति करने हेतु बोली दाता बाध्यकारी होगा।
10. निविदा की अनुमानित राशि निर्धारण में न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.12.2024 के आधार पर तथा सामग्री राशि/उपकरण किराया 10 प्रतिशत तथा सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज 5 प्रतिशत तथा वर्तमान जी.एस.टी. दर 18 प्रतिशत के अनुमानित आधार पर गणना की गई है। समस्त वास्तविक प्रभार यथा समय नियमानुसार प्रचलित दरों पर मान्य होंगे।
11. **निविदा बोली राशि अनुमानित है अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त निर्देशानुसार सफलतम निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बोली के आधार पर वित्तीय भार का आंकलन करते हुए बजट मांग प्रस्तुत की जानी है तदुपरान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से बजट आवंटन/स्वीकृति उपरान्त ही सफलतम फर्म को कार्यादेश जारी किया जाएगा।**

अध्यक्ष (क्रय समिति)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
पोक्सो एक्ट, प्रकरण संख्या–2, अजमेर

(4)

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

जिला न्यायालय ,अजमेर के नवीन न्यायालय भवन के विद्युतीय कार्यों हेतु प्रशिक्षित कार्मिक सेवाओं की योग्यताएं एवं कार्य क्षेत्र का विवरण

S.No.	Components	Proposed Personnel	No. of Personnel
1	Operation of Evaporative Air-cooling system installed in Judicial Complex Building	Highly Skilled Labour (Operator)	01
2	Operation of Air-conditioning work installed in Judicial Complex Building	Highly Skilled Labour (Operator) – 1 Technical Helper (Skilled) – 1	02
3	Operation of Elevator/Lift Installed in Judicial Complex Building	Lift Operator (Skilled)	03
4	Operation of LAN and LV work installed in Judicial Complex Building	Highly Skilled Labour (Operator)	01
5	Operation of Fire Fighting System installed in Judicial Complex Building	Highly Skilled Labour (Operator) – 1 Technical Helper (Skilled) – 1	02
6	**Air Conditioning Chiller Plant work** Providing experienced and highly skilled/skilled/semi-skilled/unskilled labour for electric repair/maintenance/operation of Air conditioning/Air cooling/Fire fighting/Lift/DG set/CCTV/EPBX or any electromechanical system as per requirement (one shift for 8 hr. per day for 26 working days in a month)	Highly Skilled Labour	01
7	**Sub-Station (Transformer & DG set)** Providing experienced and highly skilled/skilled/semi-skilled/unskilled labour for electric repair/maintenance/operation of Air conditioning/Air cooling/Fire fighting/Lift/DG set/CCTV/EPBX or any electromechanical system as per requirement (one shift for 8 hr. per day for 26 working days in a month)	Highly Skilled Labour	01
Total			**11**

अध्यक्ष (क्रय समिति)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
पोक्सो एक्ट, प्रकरण संख्या–2, अजमेर

(5)

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

बोलीदाता की योग्यता संबंधी आवश्यक निर्देश

बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है। जिसके समर्थन में समस्त वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। बिना दस्तावेजों के प्राप्त एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने पर प्राप्त बोलियों को तकनीकी रूप से अयोग्य मानते हुए बिना किसी प्रत्राचार के सीधे ही निरस्त कर दिया जावेगा :–

क्र. सं.	तकनीकि योग्यताएं	विवरण	वांछित दस्तावेज
1	बोलीदाता	बोली लगाने हेतु बोलीदाता स्वयं सक्षम होना चाहिए, संयुक्त उद्यम/संघ बोली लगाने हेतु योग्य नहीं है। बोलीदाता किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता द्वारा स्वयं के लैटर हैड पर इस आशय की स्व–घोषणा।
2	टर्न ऑवर	गत तीन वित्तीय वर्षों में वार्षिक टर्न ऑवर रू. 10.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए।	गत तीन वर्षों की balance sheet/profit & loss A/C की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियां।
3	अनुभव	बोलीदाता को किसी सरकार/अर्द्धसरकार/स्वायत्तशासी संस्था में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
4	कर संबंधी पंजीकरण	बोलीदाता के पास स्वयं के निम्न दस्तावेज होने चाहिए :– 1. जीएसटी पंजीकरण 2. पैन कार्ड	वांछित दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
5	अन्य पंजीकरण	बोलीदाता के पास राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्नमूलन) अधिनियम, 1970 एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत संस्थान का पंजीयन प्रमाण–पत्र होना चाहिए।	वांछित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां (राजस्थान सरकार के वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)/एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के अनुसार यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।)
6	अन्य पंजीकरण	ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र होना चाहिए।	वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
पोक्सो एक्ट, प्रकरण संख्या–2, अजमेर

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

खुली दर निविदा क्रमांक ..... दिनांक .....

नव निर्मित न्यायालय भवन के विद्युतीय कार्यों हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवाओं उपलब्ध करवाने हेतु
वित्तीय बोली प्रपत्र

क्र. सं.	सेवा का प्रकार	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी, मय संख्या				EPF की दर प्रतिशत	ESI की दर प्रतिशत	सामग्री राशि / उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	जिला न्यायालय, अजमेर के नवीन न्यायालय भवन में विद्युतीय कार्यो यथा न्यायालय भवन की 07 लिफ्ट, एयरकंडीशनर प्लांट, एयर कूलिंग प्लांट, फायर फाईटिंग सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, सी.सी.टी. वी. सिस्टम, सब–स्टेशन (ट्रान्सफॉर्मर व डीजी सेट) के संचालन एवं मॉनिटरिंग संबंधी कार्य।	**श्रमिकों की श्रेणी**	**न्यूनतम मजदूरी दर**	**श्रमिकों की संख्या**	**राशि**					
		कुशल	8034 प्रतिमाह	5	40170	13%	3.25%			
		उच्च कुशल	9334 प्रतिमाह	6	56004	13%	3.25%			

नोट :–

1. उक्त वित्तीय दरें ऑनलाईन E-Proc पॉर्टल के माध्यम से भरी जानी है।
2. जीएसटी का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा।
3. सर्विस चार्ज मजदूरी का न्यूनतम 3.85 प्रतिशत एवं अधिकतम 7 प्रतिशत होना चाहिए। जिसकी राशि का उल्लेख बोलीदाता द्वारा कॉलम सं. 9 में आवश्यक एवं स्पष्ट रूप से करना होगा।
4. निविदादाताओं को केवल कॉलम संख्या 8, 9 एवं 10 की पूर्ति सुनिश्चित करनी है। निविदादाता अपनी दरें स्पष्ट रूप से सामग्री राशि प्रति माह एवं सर्विस चार्ज की राशि प्रति माह के अनुसार प्रस्तुत करें एवं उक्त गणना कॉलम संख्या 5 की मजदूरी राशि के आधार पर प्रस्तुत की जानी है।
5. बोली के साथ संलग्न शर्तों एवं कार्य विवरण के अनुसार कार्य करने की सहमति देता हूं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता.....
.....
.....
मोबाईल नं.– .....
ई–मेल .....

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

–:: निविदा की मुख्य शर्तें ::–

1. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष की होगी। संतोषजनक कार्य संपादन की स्थिति में पारस्परिक सहमति से RTPP Act-2012 and Rules -2013 के प्रावधानों के तहत् आगे बढ़ाई जा सकेगी।
2. बोली दो भागों (तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली) में प्रस्तुत की जानी होगी।
3. तकनीकी रूप से सफल पाए गए बोलीदाताओं की वित्तीय निविदा बोली E-Proc पॉर्टल के माध्य से आनलाईन खोली जाएगी।
4. प्रशिक्षित कार्मिक की योग्यताएं, कार्यक्षेत्र निविदा के अनुसार होगी।
5. पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर किया जायेगा। संवेदक द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा। स्वयं के कार्मिकों को पारिश्रमिक आगामी माह की 10 तारीख तक भुगतान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
6. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा अजमेर शहर न्यायक्षेत्र में ही पेश किया जाएगा अन्य किसी भी स्थान पर पेश नहीं किया जाएगा।
7. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018, संख्या 1/2018 के यथा संशोधित समस्त बिन्दु नियमानुसार लागू होगें जिसके कुछ बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

   (i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

   (ii) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधि. नियम–1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि नियमों के अन्तर्गत बोली दाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

   (iii) यदि इस कार्यालय को अंशकालिक (Part Time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता होगी तो ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जाएगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जाएगी।

   (iv) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जाएगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण में संतुष्ट होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा।

   (v) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

   (vi) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर इस कार्यालय द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया सकेगा।

   (vii) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी

राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालानों की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जाएगा।

(viii) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(ix) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने का प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(x) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xi) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवदा उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उनमूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xii) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xiv) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्थान इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

8. निविदा शर्तों के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण, व्याख्या, शक एवं संदेह अथवा कोई मतभेद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होता है तो उसमें इस कार्यालय का निर्णय अन्तिम समझा जाएगा।
9. सफलतम निविदादाता को निविदा में संभावित कार्यादेश राशि के अनुरूप नियमानुसार 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराया जाना आवश्यक है। जिसमें 2 प्रतिशत धरोहर राशि समायोजन योग्य होगी।
10. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली, सेवाओं से संबंधित कार्मिकों का शैक्षणिक/अनुभव बाबत् दस्तावेज/पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।
11. सफल निविदादाता को कार्यादेश देने पर दी गई समय सीमा में आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। विलम्बित अविध के लिए प्रतिदिन प्रतिकर्मी 500/- रू. की दर से पैनल्टी राशि वसूली योग्य होगी।
12. सेवाओं की मात्रा आवश्यकतानुसार बढ़ाई/कम की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान कार्य की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गारन्टी नहीं होगी।
13. खुली बोली आमंत्रण प्रपत्र में प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता के आधार पर किया जाएगा।

14. किसी भी निविदा/निविदाओं को बिना कारण अस्वीकृत/स्वीकृत करने का अधिकार इस कार्यालय का होगा।
15. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा में किसी भी शर्त को जोड़ने या हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
16. यदि वित्तीय बोली प्रस्ताव किन्ही तकनीकि कारणों, बोलीदाता की गलती अथवा अन्य किसी भी कारण से ई–पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होते हैं, तो संबंधित बोलीदाता की बोली स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। **तकनीकि बोली मय आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत किये जाने होंगे तथा वित्तीय बोली E-Proc पॉर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।**
17. निविदा बोली राशि अनुमानित है अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त निर्देशानुसार सफलतम निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बोली के आधार पर वित्तीय भार का आंकलन करते हुए बजट मांग प्रस्तुत की जानी है तदुपरान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से बजट आवंटन/स्वीकृति उपरान्त ही सफलतम फर्म को कार्यादेश जारी किया जाएगा।

मैने/हमने इस संपूर्ण निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र व कार्य हेतु दी गई सभी शर्ते आदि पढ ली है, समझ ली है जो मुझे/हमे स्वीकार है। जिसके प्रमाण हेतु मैने/हमने इस निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता.....
.....
.....
मो.नं. .....

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in Tel. No- 0145-2420027

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018, संख्या 1/2018 के समस्त बिन्दु नियमानुसार लागू होगें –

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा

क्र. सं.	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोट :–

राजस्थान सरकार के वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)/एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के अनुसार यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
पोक्सो एक्ट, प्रकरण संख्या–2, अजमेर